बिहार सरकार (राज्य स्कीम)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–6/डी0 एस0सी0ए0–01/2014 82

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 03.11.17

विषयः– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय यथा, बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं आस्ता, झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि में से बजट उपबन्ध के अंतर्गत उपलब्ध ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र की राशि की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। साथ ही आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना लागत पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मद से आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :–**स्वीकृत।**

2– (i) एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत 2 (दो) आवासीय विद्यालय यथा बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं आस्ता झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण 720 आसन वाले प्रति विद्यालय ₹3483.00 लाख (चौंतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) की दर से निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(ii) आवासीय विद्यालयों को चरणबद्ध रूप में 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय के अनुरूप आधारभूत संरचना, 05 वर्षो के लिए रख–रखाव एवं फर्निशिंग कार्य के लिए मुख्य महाप्रबन्धक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक–2043 (अनु0) दिनांक–29.06.2017 द्वारा पुनपरीक्षण के उपरान्त प्राप्त मॉडल नक्शा एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा–275 (1) के तहत एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत 2 (दो) आवासीय विद्यालय यथा बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं आस्ता झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 480 आसन वाले स्वीकृत 2 (दो) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति विद्यालय ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹2400.00 (चौबीस करोड़ रू0) की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि कुल ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़) मात्र की व्यय की स्वीकृति। साथ ही आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना लागत पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मद से आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

(iv) 2 (दो) आवासीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत **कुल** ₹6966.00 (उनहत्तर करोड़ छियासठ लाख रू0) राशि में से जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **स्वीकृति** ₹2400.00 (चौबीस करोड़ रू0) मात्र की राशि को घटाकर राज्य स्कीम से ₹4566.00 लाख (पैतालीस करोड़ छियासठ लाख रू0) की अन्तर राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

(v) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के माध्यम से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

3– इस योजना के लिए राज्य स्कीम मद के निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगाः–

(क) राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मांग सं0–44 मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास– उपशीर्ष–0201– अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त–विषय शीर्ष–0201.27.01–लघु कार्य–विपत्र कोड–44–2225021020201 पी0एफ0एम0एस0 कोड–TSP2 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) **अनुसूचित जनजाति के** भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–0104–अनुसचित जनजाति के भवन–विषय शीर्ष–0104.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–**4059017960104** के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बेलाटांडी, रामनगर, प0 चम्पारण के मौजा–बेलाटांडी, थाना नं0–521, खाता नं0–23, खेसरा नं0–96, रकबा–5.00 एकड़ एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता (झाझा), जमुई के मौजा आस्ता थाना नं0–3/61 खाता नं0–120/1 खेसरा–538 रकबा–5.00 एकड़ में कराया जायेगा।

5– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–19 दिनांक–04.06.2015 एवं आवंटनादेश संख्या–24 दिनांक–16.06.2015 द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता, झाझा, जमुई के लिए प्रथम चरण में ₹341.00 लाख(तीन करोड़ एकतालीस लाख रू0) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–131 दिनांक–21.08.2017 द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता, झाझा, जमुई के लिए प्रथम चरण में विद्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹307.79 लाख(तीन करोड़ सात लाख उन्नासी हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तदनुसार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता, झाझा, जमुई निर्माण के लिए स्वीकृत राशि ₹341.00 लाख(तीन करोड़ एकतालीस लाख रू0) में से अवशेष राशि ₹33.21 लाख (तैतीस लाख एक्कीस हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। पूर्व में स्वीकृत राशि ₹341.00 लाख को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता, झाझा, जमुई के वास्तविक परियोजना लागत में से घटाया जाएगा। स्वीकृत्यादेश सं0–19 दिनांक–04.06.2015 एवं आवंटनादेश सं0–24 दिनांक–16.06.16 द्वारा उपलब्ध करायी गई सम्पूर्ण राशि मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को उनके पी0एल0 खाता–238 के नाम से उपलब्ध करायेंगे।

6– (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि में से बजट उपबन्ध के अंतर्गत के अंतर्गत उपलब्ध राशि ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़) मात्र की निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु0) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता–238 के नाम से उपलब्ध करायेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 में प्रावधानित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पी0 एल0 ए0 खाता संख्या–238 में स्थानान्तरित करेगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को देंगे।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

8– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

9– इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

10– इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–01.11.2017 में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

12– इस प्रस्ताव पर संचिका सं0–6/डी0 एस0सी0ए0–01/2014 के पृ0–118/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

13 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

14 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

2.11.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/निदे0 आवा0 वि0(उत्क्रमण)–01–10–16/2016 82 पटना,दिनाक– 03.11.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2.11.17

सरकार के सचिव।